205

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1930—एक/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 03—11—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 157/अपील/2000—01

.....

1— रामसजीवन पिता स्व0 श्री जमुना प्रसाद पटेल
निवासी—ग्राम झिरिया, तहसील अमरपाटन,
जिला—सतना(म0प्र0)
2— श्रीमती दुर्णट पटेल पत्नी श्री मोहन पटेल पुत्री जगद्देव पटेल
3— श्रीमती सुकबरिया पटेल पत्नी सुमन प्रसाद पटेल पुत्री जगद्देव पटेल
निवासीगण—ग्राम देऊ, पो0 मौहारी, तहसील अमरपाटन
जिला—समना(म0प्र0)
4— रामउजागर पिता श्री भगवतदीन पटेल
5— बाल्मीक पिता भगतवदीन पटेल
निवासीगण—ग्राम झिरिया, तहसील अमरपाटन
जिला—सतना(म0प्र0)
6— श्रीमती रामरती पटेल पत्नी श्री रामउजागर पटेल पुत्री स्व0 श्री भगवतदीन पटेल
7— बैजनाथ पिता श्री जमुना
8— रामनिवास पिता श्री जमुना
9— श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी स्व0 श्री भगवतदीन पटेल
निवासीगण—ग्राम झिरिया कोठार, तहसील अमरपाटन
जिला—सतना(म0प्र0)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— जगन्नाथ पिता श्री रामगरीब
निवासी— ग्राम झिरिया कोठार, तहसील अमरपाटन
जिला—सतना(म0प्र0)

.....अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

आदेश

(आज दिनांक 28-9-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी, न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–11–2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षेप तथ्य यह है कि अनावेदक द्वारा ग्राम झिरिया कोठार स्थित विवादित भूमि खसरा क्रमांक 313/1, 315/1, 315/2, एवं 315/3 में से अवरोध हटाये जाने व रास्ता खोले जाने हेतु संहिता की धारा 131/133 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा विचारोपरांत दिनांक 03.08.2000 से 10 फीट चौड़ा रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । जहॉ अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 196/अ–13/अपील/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 30.11.2000 से प्रस्तुत अपील निरस्त किया, जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील, अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय अपर आयुक्त ने प्रकरण क्रमांक 157/अपील/2000–01 में दिनांक 03–11–2007 द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को विधिसंगत मानते हुये, प्रस्तुत अपील निरस्त की है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी प्रतिवेदन एवं नायब तहसीलदार के मौका मुआयना के समय वादग्रस्त आराजियों में पूर्व से रास्ता पाया और उसी रास्ते से अनावेदक अपने हल, बैल एवं कृषि यंत्र लाना तथा ले जाना करना पाया। आवेदकगण ने उक्त रास्ते को गोबर के खाद का गढ्ढा

खोदकर सकरा कर दिया है तथा रास्ते में बाड़ी लगा दी है, जिससे अनावेदक को आने–जाने में असुविधा होती है। अनावेदक ने विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 131–133 के तहत अवरोध किये गये रास्ते को खुलवाये जाने का आवेदन दिया था। आवेदन प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने विचारोपरांत ही 10 फीट चौड़ा रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिया है। चूँकि संहिता की धारा 131 के तहत नवीन रास्ता का निर्माण नहीं किया जाता अपितु पूर्व में अवरोध किये गये रास्ते को खोला जाता है। विचारण न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये ही पूर्व में जो आवेदकगण द्वारा अवरोध किये गये थे, उसी रास्ते को खुलवाया है। इसीलिये विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसंगत है, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती । अनुविभागीय अधिकारी ने भी विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष को उचित माना है । अपर आयुक्त ने भी पूर्ण विवेचना कर अपने विस्तारपूर्वक आदेश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित किये गये आदेश को न्यायसंगत माना है तथा आदेश यथावत रखा है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष होने से उसमें हस्तक्षेप किये जाने की कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर